



देश के पहले सूर्य मिशन आदित्य एल-1 की शार रेंज (श्रीहरिकोटा) से सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के साथ भारत की अंतरिक्ष यात्रा में शनिवार को एक और गौरववित कर देने वाली उपलब्धि जुड़ गयी। पी.एस.एल.वी. सी-57 लॉन्चिंग उपकरण ने आदित्य-एल1 सैटलाइट को लेकर सुबह 11.50 बजे सूर्य की ओर उड़ान भरी। पी.एस.एल.वी. ने न केवल सफल उड़ान भरी, बल्कि एक घंटे से कुछ अधिक समय के बाद 1475 किलोग्राम वजन की सैटलाइट को इच्छित कक्षा में स्थापित भी कर दिया। यह सैटलाइट आदित्य एल-1 सौर क्षेत्र की 125 दिनों की यात्रा के जरिये सूर्य के बाहरी वातावरण (कोरोना) का अध्ययन करेगा। यह इसरो का दूसरा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इससे पहले 23 अगस्त को चंद्रयान-3 मिशन के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर को सफलतापूर्वक उतारा गया था। इसके बाद इसी हफ्ते लैंडर से बाहर निकलकर प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर खूब चलकदमी की तथा विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारीयां उपलब्ध करायीं। सूर्य मिशन के यान (पी.एस.एल.वी.-सी 57) ने सैटलाइट (आदित्य एल-1) को ठीक उसकी इच्छित कक्षा में स्थापित कर दिया है, इसे लैंग्रेज पॉइंट (एल 1) पर छोड़ा जायेगा। लैंग्रेज पॉइंट को सूर्य के सबसे नजदीक माना जाता है, इसी के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में आदित्य एल-1 को स्थापित करने के प्रयास किये जायेंगे। इसरो के अनुसार आदित्य-एल-1 (सैटलाइट) पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य की बाहरी कक्षा में स्थापित रहेगा। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का लगभग एक प्रतिशत है। जैसा कि विदित है कि, सूर्य गैस का एक विशाल गोला है और आदित्य एल-1 इसके बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगा।

## ‘राफेल्स होटल...’

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। गुप ने इस दौरान कई बार फेमा (फॉरिन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999) का उल्लंघन किया। ई.डी. ने बताया कि, शुरूआती जांच में पाया गया है कि ट्राइटेन गुप बड़े स्तर पर विदेशों से हवाला के जरिए लोन देन करने में शामिल है।

वर्षा एन्टरप्राइजेज के डायरेक्टर हैं शिवशंकर शर्मा, मयंक शिवशंकर शर्मा, पोथी सिंह कमलेश और रतनकांत शर्मा। ट्राइटेन होटल रिसेट के डायरेक्टर हैं हितेश भायानी, रतनकांत शर्मा, जूही शर्मा, सारिका अश्लि पालीवाल, पोथी सिंह कमलेश और श्वेता जैन शामिल हैं।

प्राप्त जानकारी अनुसार कार्रवाई में ई.डी. ने 1.27 करोड़ अशोधित नकद सहित कई संदिग्ध दस्तावेज, डिजिटल एवीईएस, हार्ड डिस्क, मोबाइल सहित अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। इस दौरान खुलासा हुआ है कि गुप द्वारा बड़े स्तर पर अशोधित ट्रांजेक्शन किया गया है। इस अशोधित ट्रांजेक्शन को गुप द्वारा होटल के डवलपमेंट में निवेश किया गया है। ई.डी. का मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है।

## ‘विदेश भागने वाले अपराधियों की सम्पत्ति जब्त की जाए’

-जाल खंबाता-  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 2 सितम्बर। फरार होकर विदेश चले जाने वाले लोगों की सम्पत्तियों को जब्त करने से संबंधित प्रस्ताव के लिये भारत जी-20 सम्मेलन में दबाव बनायेगा।

मौजूदा कार्यवाही को कानूनी कवायद में बहुत अधिक समय लगता है। यह प्रस्ताव जी-20 राष्ट्रों, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, के वर्किंग गुप द्वारा पहले ही अनुमोदित हो चुका है। इस प्रस्ताव पर 9-10 सितम्बर को सम्मेलन में विचार किया जायेगा।

सरकारी सूत्रों ने कहा कि यह दिल्ली-घोषणा का हिस्सा बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को पहले ही बार 2018 के जी-20 सम्मेलनों में नियमित रूप से उठाया जाता रहा है। कई व्यक्तियों भारतीय बैंकों के साथ फ्रांड करके विदेश भाग गये हैं।

2014 में, भारत को विदेश 0भाग गये ऐसे लोगों से 1.8 अरब डॉलर वसूल करने में कामयाबी मिल गई थी।

■ भारत सरकार, फ्रांड करके विदेश भाग जाने वाले अपराधियों की सम्पत्ति जब्त करने संबंधी प्रावधान को जी-20 की “दिल्ली घोषणा” का हिस्सा बनाने का प्रयास कर रही है।

इसी प्रकार, सरकारी एजेंसियों ने देश के आर्थिक अपराधियों से 12 अरब डॉलर एक अन्य प्रकरण में वसूल किये थे।

## नड्डा की वरिष्ठों...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)  
समाप्त हो जायेंगी। मध्य प्रदेश में शुरू होने वाली यात्रायें 25 सितम्बर को भोपाल में पार्टी कार्यकर्ताओं के महाकुंभ में समाप्त होंगी।

## जेट एयरवेज के फाउण्डर गिरफ्तार

मंबई, 2 सितम्बर (वार्ता)। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोगल को धन शोधन निरोधक अधिनियम के तहत गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने कहा कि गोगल पर केनरा बैंक के साथ 538 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी करके अपराध के घन का शोधन करने आरोप है। गोगल को ईडी के अधिकारियों ने मामले की जांच के सिलसिले में यहां अपने आफिस में बुलाया था। गोगल से लम्बी पृष्ठताछ के बाद रात में उन्हें धन शोधन निवारक अधिनियम के प्रावधानों के तहत हिरासत में ले लिया गया। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाली एजेन्सी ईडी ने जांच के सिलसिले में गोगल और कुछ अन्य लोगों के ठिकानों पर इसी रात 19 जुलाई को तलाशी ली थी। इस कार्रवाई में अधिकारियों की टीमों ने मुंबई और कुछ अन्य स्थानों पर छापे डाले थे। ईडी ने यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जेट एयरवेज, उसके प्रवर्तक नरेश गोगल उनकी पत्नी तथा जेट एयरवेज के कुछ अधिकारियों के खिलाफ केनरा बैंक से धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई हुई।

# गर्भवती महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में पति सहित सात गिरफ्तार

उदयपुर, 2 सितम्बर (कास)। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद के पहाड़ा गांव में एक गर्भवती महिला को उसके पति और ससुराल वालों द्वारा निर्वस्त्र कर गांव में घुमाने की घटना के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धरियावद पहुंचे। मुख्यमंत्री ने पीड़िता से मुलाकात की और पीड़िता को 10 लाख रूपए की आर्थिक सहायता और पुनर्वास सहित सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया। साथ ही भरोसा दिलाया कि, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, यह घटना बेहद दुखद और निंदनीय है। जैसे ही वीडियो वायरल होने की सूचना एस.पी. तक पहुंची, वे और पुलिस जाबता तुरंत मौके पर गए। रात को ही ए.डी.जी. दिनेश एम.एन. धरियावद पहुंच गए। पुलिस ने रात को ऐसे इलाके से आरोपियों की धरपकड़ की जहां सिमल तक नहीं आ रहे थे, मुख्य आरोपी रात को ही गिरफ्तार कर लिए गए। मामले में जितने आरोपी होंगे सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जाएगी, यह अमानवीय घटना है।

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि, पारिवारिक झगड़े दुनिया में हर जगह होते हैं, लेकिन ऐसी घिनौनी हरकत करना, कानून हाथ में लेना, इससे निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। ऐसे मामलों में पक्ष और विपक्ष को मिलकर समाज को मैसेज देना चाहिए कि, ऐसी

■ सरकार ने पीड़िता को 10 लाख रूपए की आर्थिक सहायता तथा पुनर्वास सहित सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया।

■ गिरफ्तार हुए सात लोगों में से एक नाबालिग है। चार आरोपी हिरासत में हैं और तीन अस्पताल में भर्ती हैं, क्योंकि वो भागने के प्रयास में घायल हो गए थे।

घटनाओं की समाज में जगह नहीं है।

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार शनिवार सुबह ए.डी.जी. क्राइम दिनेश एम.एन. भी मौके पर पहुंचे। पीड़िता से मुलाकात कर उसकी स्थिति जानी और जिले में महिलाओं के लिए बनाई गई काउन्सिलिंग टीम से उसकी काउन्सिलिंग शुरू करवाई गयी है। ए.डी.जी. दिनेश एम.एन. ने बताया कि, महिला के अपहरण और निर्वस्त्र कर घुमाने के आरोप में पति सहित 7 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, वहीं 4 लोग पुलिस हिरासत में हैं। इन 4 लोगों में एक अपचारी है, वहीं तीन हॉस्पिटल में उपचाररत हैं। ये लोग पुलिस से भागने की कोशिश के दौरान घायल हो गए थे।

पुलिस ने बताया कि, घटना गुरुवार शाम की है। पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गयी एफ.आई.आर. के अनुसार पीड़िता करीब 15 दिन पहले पीहर गई थी, वहीं से वह एक युवक के साथ नाते चली गयी। पीड़िता पिछले कुछ दिनों से युवक के साथ उसके गांव देवला में ही रह रही थी। इस बारे में जब पीड़िता के

पति को पता चला तो वह 7 से 8 लोगों के साथ देवला गांव गए और वहां से पीड़िता को जबरन उठा कर पहाड़ा गांव ले आया। यहां पति व ससुराल वालों ने मिलकर महिला को निर्वस्त्र किया और गांव में घुमाया। ससुराल वालों ने इस

## घर को लूटने वाली...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)  
गजेन्द्र सिंह शेखावत को इस मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा था।

जनसभा में प्रदेशाध्यक्ष सी.पी. जोशी ने हिन्दुत्व पर फोकस किया और जयश्री राम के नारे लगवाए। उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस तक की बात की और कहा कि, दिसम्बर में बाबरी ढांचा गिरा था, तो उसी महीने में कांग्रेस ने हमारी भाजपा सरकार गिराई थी और इस दिसम्बर में जब अयोध्या में श्रीराम का मंदिर बन चुका होगा तो राजस्थान में कांग्रेस की मुगलिया सरकार गिरिगी और भाजपा की सरकार बनेगी।

नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र सिंह राठौड़

ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि, आज सर्वाभिधापुर की धरती पर जनता परिवर्तन का संकल्प लेकर आई है। प्रदेश में प्रतिदिन दुष्कर्म की 17 घटनाएं हो रही हैं। कल की धरियावद के पहाड़ा गांव की घटना लोगों के जहन में है, किस कदर एक जिवाहिता को निर्वस्त्र कर घुमाया गया। इससे भी ज्यादा शर्मनाक तो यह है कि, चार साल में प्रदेश की पुलिस तीन हजार बार पीटी है। जिस प्रदेश में पुलिस का इकबाल जिंदा ना रहे वहां की कानून व्यवस्था का आप अंदाजा लगा सकते हैं।

# राहुल गांधी ने लालू यादव से सीखी मटन की रैसिपी

लालू यादव की सीक्रेट रैसिपी सीखने राहुल गांधी उनके घर पहुंचे, राहुल ने यह वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया है

नई दिल्ली, 2 सितम्बर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर मटन बनाया। राहुल ने यह वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। कुछ समय पहले ही राहुल ने बताया था कि लालू सबसे अच्छा खाना बनाते हैं। अब खुद राहुल लालू से उनकी सीक्रेट रैसिपी सीखने उनके घर पहुंचे। वीडियो में राहुल लालू यादव के घर में प्रवेश करते दिखाई देते हैं। लालू ने फूलों का गुलदस्ता देकर राहुल का स्वागत किया। लालू ने कहा, आइए स्वागत है। सबसे खुशी का दिन आ गया। इसके बाद लालू ने राहुल गांधी को बिहार से मंगाए गए मटन की रैसिपी भी बताई।

राहुल ने अपने हाथों से मटन में तमाम मसाले डाले और हाथ से अच्छी तरह

■ वीडियो में राहुल गांधी, लालू यादव के घर में प्रवेश करते हुये दिखाई देते हैं। लालू ने फूलों का गुलदस्ता देकर राहुल का स्वागत किया।

मिलाया। इस दौरान, लालू की बेटी और सांसद मीसा भी उनकी मदद करती रहीं। राहुल ने सवाल किया कि पहली बार आपने कब बनाया सीखा? इस पर लालू ने जवाब दिया कि बहुत छोटे थे, छठी-सातवीं कक्षा में। पटना आए थे, जहां हमारे भाई लोग काम करने आए थे। यहां पर खाने में उनकी मदद करते थे और फिर वही से मैंने सीखा। कांग्रेस सांसद ने लालू से पूछा कि बाहर

किसी देश का खाना आपको पसंद है? इस पर लालू ने थोड़ा फूड जवाब दिया। राहुल ने कहा कि मेरी बहन बनाती है, जिसे मैं आपको भिजवाऊंगा।

राहुल ने बातचीत के दौरान कहा कि मेरी बहन (प्रियंका) ने कहा है कि मटन को थोड़ा उसके लिए भी ले जाऊं। अगर नहीं ले गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस पर मीसा और अन्य लोगों ने कहा कि इन्हें जरूर राहुल ने लालू व उनके परिवार के अन्य लोगों के साथ खाना खाया। इस दौरान राहुल से भी सवाल किया गया कि क्या आपको कुकिंग आती है? इस पर कांग्रेस नेता ने जवाब दिया कि हां, जब यूरोप में काम करता था, तब सीखना पड़ा। बैसिक चीजें बना लेता हूँ, लेकिन एक्सपर्ट नहीं हूँ।

## हाई कोर्ट का सी.एम...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)  
आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश हाईकोर्ट में नकालत करने वाले पूर्व न्यायिक अधिकारी शिवचरण गुप्ता की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिए। जनहित याचिका में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ स्वयंप्रण से आपराधिक अवमानना को कार्रवाई करने की गुहार की गई है।

जनहित याचिका में मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्यायपालिका के खिलाफ बयानबाजी की है। सीएम गहलोत ने न्यायपालिका में गंभीर प्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सुना है कि कोर्ट के फैसले तक वकील लिखते हैं और वे जो लिखकर लाते हैं, वहीं फैसला आता है। मुख्यमंत्री गहलोत ने निचली व उच्च अदालतों दोनों पर अपना निशाना साधा था।

बाद में जब राजस्थान हाईकोर्ट में इस संदर्भ में याचिका दायर हुई और जल्द सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध भी कर लिया गया, तब मुख्यमंत्री गहलोत ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि जुडिशिएरी में प्रष्टाचार के संबंध में दिया गया बयान उनकी निजी राय को व्यक्त नहीं करता। उन्होंने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीशों ने भी न्यायपालिकाओं में चल रहे प्रष्टाचार पर टिप्पणी की है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश के बयानों से यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि उन्होंने किस संदर्भ में और किस कारणवश मीडिया में बयानबाजी की और न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को “सैरिपलडाज” किया।

## आजाद व अधीर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)  
परिदृश्य, जैसे त्रिशंकुसदन, अविश्वास प्रस्ताव की स्वीकृति, दलबदल तथा अन्य ऐसी ही स्थितियों एवं कार्यवाहियों का विरलेषण करेगी।

कमेटी उन सभी व्यक्तियों, ज्ञापनों तथा संदेशों का स्वागत करेगी, जो उसके विचार में बयानबाजी को गुप्त बना सकते हैं तथा उसे अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में मदद कर सकते हैं। इससे पूर्व, शुक्रवार को केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, “अभी-अभी एक कमेटी गठित कर दी गई है। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, जिस पर चर्चा होगी। संसद परिपक्व है तथा चर्चा होगी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। भारत को लोकतंत्र का जन्मदाता कहा जाता है, विकास क्रम सदैव चलता रहता है। इसके बाद संसद के विशेष सत्र के एजेंडा पर चर्चा करेगी।”

मुख्यमंत्री का यह बयान न्यायपालिका की गरिमा को टेस पहुंचाने वाला और प्रतिष्ठा को गिराने वाला है। याचिका में कहा गया है कि गहलोत ने न सिर्फ न्यायिक अधिकारियों बल्कि वकीलों की प्रतिष्ठा को नीचे गिराने वाला बयान दिया है। याचिका में गुहार की गई है कि जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वयंप्रण से अदालतों अवमानना को लेकर सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई अमल में लाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सीएम गहलोत से जवाब तलब किया है।

दो अन्य याचिका दायर- वहीं दूसरी ओर रामगंजमंडी विधायक मदन दिलावर की ओर से अधिवक्ता डॉ. महेश शर्मा व अधिवक्ता हर्षिता शर्मा ने सीएम गहलोत के खिलाफ आपराधिक अवमानना याचिका पेश की है। वहीं अधिवक्ता मनु भार्गव व सौरभ सारस्वत ने भी इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका पेश की है। हाईकोर्ट अगले सप्ताह इन याचिकाओं पर सुनवाई कर सकता है।

मुख्यमंत्री का यह बयान न्यायपालिका की गरिमा को टेस पहुंचाने वाला और प्रतिष्ठा को गिराने वाला है। याचिका में कहा गया है कि गहलोत ने न सिर्फ न्यायिक अधिकारियों बल्कि वकीलों की प्रतिष्ठा को नीचे गिराने वाला बयान दिया है। याचिका में गुहार की गई है कि जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वयंप्रण से अदालतों अवमानना को लेकर सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई अमल में लाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सीएम गहलोत से जवाब तलब किया है।

दो अन्य याचिका दायर- वहीं दूसरी ओर रामगंजमंडी विधायक मदन दिलावर की ओर से अधिवक्ता डॉ. महेश शर्मा व अधिवक्ता हर्षिता शर्मा ने सीएम गहलोत के खिलाफ आपराधिक अवमानना याचिका पेश की है। वहीं अधिवक्ता मनु भार्गव व सौरभ सारस्वत ने भी इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका पेश की है। हाईकोर्ट अगले सप्ताह इन याचिकाओं पर सुनवाई कर सकता है।

# ‘मणिपुर के अल्पसंख्यक कोम समुदाय की सुरक्षा की जाये’

नई दिल्ली, 2 सितम्बर। मणिपुर में भड़की हिंसा अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच, बाक्सिंग स्टार एम सी मैरी कॉम ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

हरअसल, मैरी कॉम ने हस्तक्षेप की मांग की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षा बल दोनों युद्धरत समूहों को मणिपुर के कोम गांवों में घुसपैठ करने से रोके।

गुरुवार को शाह को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि कोम समुदाय मणिपुर की एक स्वदेशी जनजाति है, जो अल्पसंख्यकों में सबसे छोटी जनजाति में से एक है। पचा विभूषण से सम्मानित खिलाड़ी मैरी कॉम ने कहा, “हम सभी

■ मुत्केबाज मैरिकॉम ने अमित शाह को लिखे पत्र में कहा कि, मणिपुर में कोम समुदाय अल्पसंख्यक वर्ग में भी सबसे अधिक अल्पसंख्यक हैं, ये लोग बहुत सरल और सीधे-सादे हैं

■ मैरीकॉम ने कहा, मणिपुर में कोम समुदाय के सभी लोग दो प्रतिद्वंद्वी समुदायों, मैतेई और कुकी के बीच बिखरे हुए हैं। हम दोनों युद्धरत समूहों मैतेई और कुकी) को कोम गांवों में घुसपैठ करने से रोकने के लिए सुरक्षा बलों की मदद चाहते हैं।”

दो प्रतिद्वंद्वी समुदायों के बीच बिखरे हुए हैं।

दोनों तरफ से मेरे समुदाय के खिलाफ संदेह होते हैं और सभी समस्याओं के बीच में फंसे हुए हैं। कमजोर आंतरिक प्रशासन और एक

कहा, “हम दोनों युद्धरत समूहों को कोम गांवों में घुसपैठ से रोकने के लिए सुरक्षा बलों की मदद चाहते हैं।” उन्होंने भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल और राज्य बलों के सभी तैनात दलों से अनुरोध किया कि वे सुरक्षा संबंधित मामलों में निष्पक्ष रहें और राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बनाए रखने में सफल हो।

पूर्व राज्यसभा सदस्य ने मणिपुर में सभी लोगों, विशेष रूप से मैतेई और कुकी समुदाय से मतभेदों को दूर करने और राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “हम सभी को सह-अस्तित्व की जरूरत है, इसलिए आइए अपने मतभेदों और भावों को दूर करें और एकजुट हो जाएं।”

छोटा अल्पसंख्यक जनजातिय समुदाय होने के कारण हम अपने अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ करने वाली किसी भी ताकत के खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं हैं।”

पचा विभूषण पुरस्कार विजेता ने

# राज्यों को कड़ी शर्तों के साथ इलैक्ट्रिक बसें देगी केन्द्र सरकार

केन्द्र सरकार का इन शर्तों के पीछे यह सुनिश्चित करना मकसद है कि, ये महंगी इलैक्ट्रिक बसें भी पिछली योजनाओं की भांति अनोपयोगी और विफल ना हो जायें

नई दिल्ली, 2 सितम्बर। शहरों में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार पीएम ई बस सेवा योजना के तहत राज्यों को कड़ी शर्तों के साथ बसें उपलब्ध कराएगी। उद्देश्य यह है कि ये बसें बरबाद और सुधार के वाहन बनें, न कि उनका हाल जे.एन.यू.आर.एम. जैसी योजना में की गई विफल कोशिश जैसा हो जाए।

169 शहरों में लागू की जा रही प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना से संबंधित जो दिशा-निर्देश केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने जारी किया है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शहरों को बसों के संचालन वाले रूट के रखरखाव के लिए

संबंधित विभाग के साथ एमओयू करना होगा और वे उस रूट पर बसों का संचालन करने वाले निजी ऑपरेटरों पर लागू लगाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के साथ भी समझौता करेंगे।

किसी भी शहर में सरकारी बसों के संचालन में यह सबसे बड़ी समस्या आती है कि निजी ऑपरेटर सरकारी तंत्र की मिलीभगत से मनमानी करते हैं। अपनी तरह की इस पहली योजना में केंद्र सरकार 169 शहरों को 20 हजार करोड़ रुपये की सहायता बसों की खरीद तथा उनके संचालन के लिए देने की है।

वैसे इस पूरी योजना में 57 हजार

■ 169 शहरों को प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत बसें मिलेंगी।

■ केन्द्र ने राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किया है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि, शहरों को बसों के संचालन वाले रूट के रखरखाव के लिए संबंधित विभाग के साथ एम.ओ.यू. करना होगा और वे उस रूट पर बसों का संचालन करने वाले निजी ऑपरेटरों पर लागू लगाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के साथ भी समझौता करेंगे।

■ किसी भी शहर में सरकारी बसों के संचालन में यह सबसे बड़ी समस्या आती है कि, निजी ऑपरेटर सरकारी तंत्र की मिलीभगत से मनमानी करते हैं।

करोड़ से ज्यादा खर्च किए जाएंगे, जिसमें एक बड़ा हिस्सा शहरों में बस डिपो जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी खर्च किया जाएगा। पहले चरण में 10 हजार बसें शहरी स्थानीय निकायों को संचालन के लिए दी जाएंगी। योजना की सामान्य शर्तों में यह भी शामिल है कि प्रोजेक्ट के तहत दिए जाने वाले पैसे का थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य होगा, ताकि पूरी पारदर्शिता रहे। शहरों को हर तीन महीने में बसों के संचालन का हिाब-किताब देना होगा। योजना के तहत तीन तरह की बसें-स्टैंडर्ड, मीडियम और मिनी चलाई जाएंगी। शहरों को आबादी के लिहाज से चार श्रेणियों में बांटा गया है।

20 से 40 लाख तक की आबादी वाले शहरों को 150, 10 से 20 लाख तथा पांच से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों को सी-सी तथा पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों को 50 ई बसें मिलेंगी। योजना के दस्तावेज के मुताबिक, केंद्रीय सहायता सुनिश्चित किलोमीटर संचालन के लिहाज से दी जाएगी और अगर बसें इससे कम किलोमीटर चलती हैं तो केंद्रीय सहायता उसी के अनुपात में कम हो जाएगी। केंद्र सरकार केवल पहली तिमाही के लिए धनराशि एडवांस में देगी और इसके बाद शहरों के प्रदर्शन के आधार पर पैसा दिया जाएगा।

जल्द ई.डी. की टीम उससे दोबारा पूछताछ करेगी। क्योंकि उसका लिंक सिविल लाइन्स से होना साफ-साफ दिखाई दे रहा है।